अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/153

प्रभूलाल आयु 75 वर्ष आत्मज बक्सू जाति रेबारी निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. मंजू जैन पत्नी श्री महावीर जैन हरकारा जाति महाजन निवीस सदर बाजार इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. महावीर जैन आत्मज प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी सदर बाजार इन्द्रगढ जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 08/दावा/2014

प्रभूलाल आयु 75 वर्ष आत्मज बक्सू जाति रेबारी निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---वादी

बनाम

1. मंजू जैन पत्नी श्री महावीर जैन हरकारा जाति महाजन निवीस सदर बाजार इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. महावीर जैन आत्मज प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी सदर बाजार इन्द्रगढ जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 09.10.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री कृष्ण दत्त दाधीच के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 08.12.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 09.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/153

प्रभूलाल आयु 75 वर्ष आत्मज बक्सू जाति रेबारी निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. मंजू जैन पत्नी श्री महावीर जैन हरकारा जाति महाजन मिवीस सदर बाजार इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. महावीर जैन आत्मज प्रेमचन्द जाति महाजन निवासी सदर बाजार इन्द्रगढ जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 09.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 92 (क) बाबत् स्थायी व्यादेश प्राप्त करने एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 41/190 रकबा 0.14 हैक्टर ग्राम लालपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है । उक्त भूमि को वादी ने 40 वर्ष पूर्व भारी रकम खर्च करके समतल करके कृषि योग्य बनाया । वादी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आज से 08–09 साल पूर्व प्रतिवादी कम 01 मंजू जैन को खसरा नम्बर 41/190/1 रकबा 1.00 हैक्टर व

खाता संख्या 20 के खसरा नम्बर 41 रकबा 1.02 हैक्टर को 1,80000/– रूपये में बेचान कर कब्जा संभला दिया । खसरा नम्बर 41/190 रकबा 0.14 हैक्टर भूमि को बेचान नहीं किया । प्रतिवादी कम 1 ने खसरा नम्बर 41/190 रकबा 0.14 हैक्टर भूमि पर अपने नाम खसरा परिवर्तनशील बना ली जबकि उक्त भूमि पर वादी नियमित काबित काश्त चला आ रहा है और वह पैनल्टी लगान की 50 गुना जमा करवा रहा है । कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी काश्तकार जो कृषि भूमि में काश्तकारी कर रहा हो उसके कब्जे में तृतीय पक्षकार जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसको धारा 92 (क) के तहत स्थायी व्यादेश से पाबन्द किया जा सकता है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का स्थायी व्यादेश पारित किया जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 41/190 रकबा 0.14 हैक्टर के किसी भू–भाग पर जबरन कब्जा करने व कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी पैदा न करें, व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा प्रतिवादी कम 01 के नाम खसरा परिवर्तनशील में अंकित नाम को प्रतिवादी कम 03 को निर्देशित किया जावे कि वह हटावे एवं उनकी जगह वादी का नाम कब्जे के आधार पर अंकित किया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 01 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आरजी राजकीय सिवायचक भूमि है । वादी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किस प्रावधान के तहत प्रदत्त उसके अधिकारों के लिए वाद लेकर आया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं एवं न ही वादी ने कोई अधिकार घोषणा चाही है । ऐसी स्थिति में धारा 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी का वाद चलने योग्य नहीं है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 92 क में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877 के अध्याय 10 के प्रावधानों के तहत वाद की अनुमति दी गई है किन्तु विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 के स्थान पर विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के प्रभाव में आने के पश्चात् उक्त अधिनियम में अध्याय 10 नहीं होने से वाद चलने योग्य नहीं है । वादी द्वारा धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस नहीं दिया गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 के द्वारा प्रतिवादी कम 1व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश किया था और यह कथन किया कि खसरा नम्बर 41/190 रकबा 0.14 हैक्टर भूमि ग्राम लालपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है । वादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट ने आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व पडत से फाडकर तथा उबड खाबड भूमि को काफी रूपये खर्च करके कृषि योग्य बनाया और वह उक्त भूमि पर 40 वर्षों से निरन्तर काबिज काश्त है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं जिन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अधीनस्थ न्यायलाय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि दावा 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चलने योगय नहीं है । अपीलान्ट के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर जवाबदावा पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य लेकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा वादी खारिज किया है । वादपत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी के बाबत् प्रतिवादी को अधिकार नहीं हैं फिर भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9 रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिसके बाबत् अपीलान्ट का स्थायी निषेधाज्ञा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है और जब दावा विधिक प्रावधानों के अनुसार मेन्टेनेबल नहीं है तो उसे आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (21) 2014 पेज 663 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा दावा स्थायी निषेधाज्ञा के बाबत् पेश किया है । पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 की फोटो प्रति के अनुसार खसरा नम्बर 41 रकबा 1.02 हैक्टर के खातेदार वादी हैं । एक विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है जिसके अनुसार प्रभू वादी के द्वारा खसरा नम्बर 41/190/1 रकबा 1.00 हैक्टर और खसरा नम्बर 41 रकबा 1.02 हैक्टर आराजी को रेस्पोडेन्ट कम 01 मंजू जैन को विक्रय किया है । इसके अलावा पत्रावली पर धारा 91 एलआरएक्ट का नोटिस संलग्न है जो कि वादी को खसरा नम्बर 169 रकबा 0.01 हैक्टर के लिए दिया गया है और कुछ रसीदों की नकलें भी पेश की गई हैं । इसके अलावा खसरा परिवर्तनशील की प्रमाणित प्रति संवत् 2053 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 41/190 पर वादी को अतिक्रमी दर्शाया गया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 के अनुसार खसरा नज्बर 41/190 रकबा 0.14 हैक्टर सरकारी सिवायचक दर्ज है ।

11. वादी ने स्वयं अपने दावे में भी यह अंकित किया है कि उन्हें इस आराजी के बाबत् धारा 91 एलआर एक्ट के तहत नोटिस एवं खसरा परिवर्तनशील की नकलें पेश की गई हैं । दावे के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है । सिवायचक आराजी के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा का दावा खातेदार कृषक ही पेश कर सकता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरबीजे (21) 2014 पेज 663 यहा चस्पा होती है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 08.12.2017 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा